

ईन्द्रावती गाउँपालिका नवलपुर, सिन्धुपाल्चोकको

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७९।०८।०

प्रतिवेदक
राजस्व परामर्श समिति

पृष्ठभूमि:

इन्द्रावती गाउँपालिका नेपालको पछिल्लो प्रशासनिक विभाजन अनुसार वागमती प्रदेशमा पर्दछ । यस गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले ८५०३४'३५" देखि ८५०४१'३४" र पूर्व देशान्तर सम्म २७,४२'१९" देखि २७,५२'०३" उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएर इन्द्रावती नदीको काखमा प्राकृतिक मनोरम संरचना सहित उच्च पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ । १०५.११वर्ग.कि.मी. क्षेत्रफल रहेको यस इन्द्रावती गाउँपालिकाको उत्तरमा पाँचपोखरी थाडपाल र जुगल गाउँपालिका पश्चिम तर्फ मेलम्ची नगरपालिका, दक्षिणमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला र पूर्वमा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका र जुगल गाउँपालिका रहेका छन् ।

नेपाल सरकारको निर्णयानुसार मिति २०७३/११/२२ गते साविकका गाविसहरु क्रमशः सिम्पालकाभ्रे, कुन्चोक, नवलपुर, वाँडेगाउँ, सिपापोखरे, भोटसिपा र भिमटार गरि जम्मा ७ वटा गा.वि.स लाई समेटेर इन्द्रावती गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो । १२ वडाहरु रहेको यस इन्द्रावती गाउँपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा तेस्रो ठुलो गाउँपालिकाको रूपमा रहेको छ । नेपाल सरहदका हिमाल, पहाड र तराई तिनै क्षेत्रको हावापानीको विशेषता बोकेको यस गाउँपालिका केही क्षेत्र र केहीभाग भौगोलिक दृष्टिकोणले कठिनाई भएता पनि सम्भावनाका क्षेत्रहरु प्रशस्त छन् । लामो समयसम्मको नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको फलस्वरूप संविधान सभा मार्फत प्राप्त नेपालको संविधान, २०७२ को व्यवस्था बमोजि राज्यको पुर्नसंरचना भई गाउँपालिका गठन भएप्श्चात निर्वाचनका माध्यमबाट गठित स्थानिय सरकारको दोश्रो कार्यकालको दोश्रो वर्षमा आइपुग्दा स्थानीय विकास व्यवस्थापनका अधिक सम्भावना र चूनौतीका बावजुत दिगो विकास मार्फत इन्द्रावतीको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि चूनौतिलाई अवसरमा बदल्नका लागि विभिन्न किसिमका सम्भावनाको खोजि गर्नु, नीतिगत व्यवस्था गर्नु, श्रोत पहिचान गर्नु, श्रोत परिचालनका माध्यमबाट दिगो आर्थिक विकास र सामाजिक समृद्धि स्थापित गर्नु स्थानीय सरकारका मुख्य लक्ष्यहरु हुन् । नेपालको अधिकांस ग्रामिण क्षेत्रले भोग्नु परेको अशिक्षा, गरिबि, सामाजिक चेतना अभाव, विकासमा जनसहभागीता तथा जातिय पछ्योटेपन जस्ता समस्याबाट यो गाउँपालिका समेत अछुतो छैन ।

लामो समय पछिको रिक्ततालाई संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्राप्त उपलब्धी स्वरूप जनप्रतिनिधीहरुको बहाली र मुलुकमा एकात्मक राज्य प्रणाली विघटन भई संघीयता प्राप्त भए सगै समग्र क्षेत्रको विकास हुने गरि केढ्रीय श्रोतमा पहुँच बढ्नुको साथै स्थानिय साधन र श्रोतको समेत भरपुर उपयोग गर्न पाउने अबसर सृजना भई विगत वर्ष देखिने इन्द्रावती गाउँपालिकाले त्यसको लाभ लिन थालिसकेको छ । नेपालको संविधान, (२०७२) स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम गठित राजस्व परामर्श समितिको गठन तथा यसका काम कर्तव्य र अधिकारको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको आफ्नै आर्थिक कार्यप्रणालीको नियन्त्रण गर्ने ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न तथा दीगो विकासको लक्ष हाँसिल गर्न स्थानिय श्रोतमा बढी निर्भर भई वित्तिय आत्मनिर्भरता तर्फ अगाडी बढन स्थानिय कर तथा गैर कर राजस्व प्राप्तीका क्षेत्र पहिल्याउने र अनुमानित आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरि श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिलाई आफ्नो कार्य गर्न तथा आ.ब.०७९/०८० को आय अनुमान गर्न सहज हुने हेतुले यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । नेपालको संविधान(२०७२) ले गरेको व्यवस्था बमोजिम राज्यको पुर्नसंरचना सगै विकेन्द्रिकरण र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको स्वायत्त सरकारको रूपमा स्थापित यस इन्द्रावती गाउँपालिकाको आफ्नो समृद्धिको यात्रामा टेवा पुऱ्याउनका लागि पालिका क्षेत्रभित्र कर तथा गैर कर राजस्व संकलन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको छ । यसै परिप्रेक्षमा आगामी आ.व को लागि पालिकाको राजस्व संकलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, बस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, प्रभावकारी वनाई राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनका विगतको अनुभव, वर्तमानका आवश्यकता र भावि लक्ष्य बीचको तादम्यता कायम गरि आवश्यकता अनुसारको नीतिगत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक सुझाव पेश गरि गाउँपालिकाको नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा सहजीकरण गर्नका लागि यो प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

प्रतिवेदनका उद्देश्यहरु

- चालु आ.ब को प्राप्त राजस्व विश्लेषण गर्नु
- आगामी आ.ब का लागि राजस्वको प्रक्षेपणमा सहयोग गर्नु
- राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन आवश्यक सल्लाह सुझाव पेश गर्नु
- राजस्वको दायरा र दरका सम्बन्धमा आवश्यक सिफारिस गर्नु ।
- प्रगतीशिल कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्नु ।
- राजस्व सम्भाव्यताको खोजी गर्नु ।

राजस्वको मौजुदा अवस्थाको विश्लेषणः

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) धारा २१४ को उपधारा (२) धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) संग सम्बन्धित अनुसूची द्वारा ४ मा रहेको स्थानीय करको संकलन गर्ने सम्बन्धित अधिकार भित्र रहेका क्षेत्राधिकार भित्र रहेको कर तथा गैर कर राजस्वबाट आन्तरिक आय संकलन तथा परिचालन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरि ईन्द्रावती गाउँउपालिकाले स्थानीय सरकार गठन तथा सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगत आ.ब. हरुमा जस्तै यस आ.ब. २०७९/०८० विभिन्न किसिमका कर तथा गैर कर राजस्व संकलन तथा परिचालन गर्दै आइरहेको छ । आन्तरिक आयको अधिकांश हिस्सा गैर कर राजस्वमा निर्भर रहेको गत विगतको विद्यमान अवस्था यो वर्षमा समेत कायम नै रह्यो । विगत देखि संकलन गरिए आएको नदीजन्य पदार्थको निकासीबाट प्राप्त आय मुख्य आन्तरीक आमदानी श्रोत बनाईएको छ । यसका अलावा मालपोत (भुमिकर), सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, शुल्क तथा दस्तुर समेतलाई कर राजस्वको महत्वपूर्ण श्रोतको रूपमा आर्थिक ऐनमा दरहरु समाविष्ट गरिएको अवस्था छ । विगतमा भएको प्रयोगहरूलाई निरन्तरता दिनु र वर्तमानका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरि भावि लक्ष्यलाई सम्भव तुल्याउनका लागि नयाँ नयाँ आन्तरीक राजस्वका क्षेत्र पत्ता लगाउनु, करको दायरा तथा दरमा समेत समयानुकूल हेरफेर परिमार्जन गरि करदाता मैत्री कर प्रणाली व्यवस्थित गर्नु आजको आवस्यकता बनेको छ ।

यस चालु आ.ब. २०७९/०८० मा राखिएको आन्तरीक राजस्व असुलीको लक्ष्य (गिटीबालुवा उत्खनन् तथा घाटगढी समेत) रु.१५९९४६२५७-अक्षेरुपी पन्थ करोड उन्नाइस लाख छयालिस हजार दुई सय सन्ताउन्न मु.अ कर समेतमा ठेकका सम्भौता भई पहिलो र दोश्रो किस्ता वापतको रकम रु ९७७६५०६७०५ अक्षरपी नौ करोड सतहतर लाख पैसाठि हजार सतसठि रुपैया मात्र जम्मा भएको तस्रो किस्ता जेष्ठ मशान्त सम्ममा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भई हाल जम्मा हुन बाकी रहेको अवस्था छ । कुल राजस्व प्रक्षेपण ११,९९,७२००० मा नदीजन्य पदार्थ ठेकामा भएको बढोतरीले कुल प्रक्षेपण र संकलनमा धेरै ठूलो अन्तर देखिएको छ । साथै जेष्ठ १५ गते सम्मको आन्तरिक आय तर्फको अन्य शिर्षगत राजस्वको विद्यमान अवस्था निम्नानुसार रहेको छ ।

हाल सम्मको वडागत राजस्व संकलनको अवस्था

आ.ब २०७९।०८०

वडागत राजस्वको नगद संकलन विवरण(रसिद मार्फत नगद संकलन)

| क्र.स | साउन | भदौ | असोज | कार्तिक | मंसिर | पूस | माघ | फागुन | चैत्र | बैशाख | जेठ | यस जम्मा | हाल सम्मको जम्मा |
|-------|---------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|------------------|
| १ | १८७०६ | १०६२८ | ११९११ | १५१२४ | १७५४० | २६५६८ | २९२३१ | २१५२६ | ३१८०४ | ३३१९० | ३९७४८ | २५५९७६ | २५५९७६ |
| २ | १५७६३ | ३३४१० | २६८९२ | २२०७२ | २४३५२ | ४५४५९ | २२५२४ | ८०५२ | १६१७६ | २५५६८ | २६८८२ | २६७१५० | २६७१५० |
| ३ | १५२८७ | २२२६३ | २४९६२ | १४२५० | १४१७६ | १८२५४ | ५०६५२ | २३००१ | ३०६४९ | ४०८९६ | १७८४९ | २७२२३९ | २७२२३९ |
| ४ | ३७७२२ | ३७९५५ | ५११९६ | २११७१ | ६७२०४ | ५८२९० | ६६१६७ | ३९२३१ | ४१२८८ | ६९०८९ | ५५३३३ | ५४५४४६ | ५४५४४६ |
| ५ | १८९८८ | २०३०८ | १८३८६ | ११०७६ | १७७२६ | २७३९८ | ४८४९६ | ३१९२० | ३६८६४ | ३०७३१ | ५१२४७ | ३१३१४० | ३१३१४० |
| ६ | ९९०० | १८३०० | ११६०० | ४०० | ६४०० | ७१३४ | १४४७८ | ८९८९ | २२१११ | २३१८६ | ४२१५९ | १६४६५७ | १६४६५७ |
| ७ | १२८४८ | २४१४८ | ११०९२ | १६६५७ | १६६२७ | १३७७८ | ४१४३४ | ११७२२ | २१४५० | १०४७२ | २१३२१ | २०१५४९ | २०१५४९ |
| ८ | ११३०८ | १६२७४ | ४१८८० | ६०२१ | ९८०१ | ६०३१ | १२१५६ | २१९३१ | २८७७३ | १५१२८ | १७२४८ | १८६५५१ | १८६५५१ |
| ९ | ७९८६ | १०७९९ | ११९७० | १७९८७ | ५८७६ | १८१६२ | २४३७८ | १८३४८ | १६११३ | १७२०५ | २९५८८ | १७८४१२ | १७८४१२ |
| १० | ३२८८४ | २७२३३ | २०१५९ | १९४४१ | ३०२१४ | ४४०४५ | ४३९९७ | ३१५२९ | २५३४३ | २९४८८ | ३५०४४ | ३३९४०७ | ३३९४०७ |
| ११ | ५५६६ | ७५२८ | ४८७९४ | १०४०६ | १३४०३ | ५३१८ | १६२२० | १९१०७ | १२४९५ | १०६४१ | १०६०० | १६००७८ | १६००७८ |
| १२ | ३७१ | ७१२९२ | २०३८६ | ८२४९ | ९७८३ | १२७९६ | १५९९६ | १४९०० | १७९३७ | २२०१५ | २५६२५ | २२२६९० | २२२६९० |
| गा.पा | ३२९६५९७ | १५७५२९ | १४७८७ | १९३८८ | ४८९९८ | ३१०३८४ | ४७८६८ | ७१४२० | ४६८०८६ | ६८१८ | ३०११० | ५८४४१०४ | ५८४४१०४ |

आ.ब २०८०।०८१ का लागि राजस्व प्रक्षेपण

आ.ब २०८०।०८१ का लागि कुल आन्तरिक आय प्रक्षेपण रु १२६०८९००० अक्षेरुपी बाहू करोड साठी लाख उनान्वे हजार मात्र गरिएको छ । जसमा शिर्षकगत राजस्व प्रक्षेपण निम्नानुसार गरिएको छ । (चालु आ.ब को बास्तविक राजस्वमा जेठ मसान्त सम्मको आयलाई समावेश गरिएको छ ।

| क्र.स. | विवरण | चालु आ.ब को बास्तविक राजस्व | आगामी आ.ब को प्रक्षेपण | कैफियत |
|--------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| १ | सम्पत्ति कर मालपोत | ८३७२९७ | १०५०००० | |
| २ | बहाल कर | ४०८४०९ | ६०५००० | |
| ३ | व्यवसाय कर | १०३२०१५ | २०५०००० | |
| ४ | सिफारिस तथा दस्तुर | ८२९२३७५ | १०५००००० | |
| ५ | दुगा गिटी, बालुवा | ४५५११३८६ | ८००८९९००० | |
| ६ | अन्य विविध आमदानी | ४२६९६२७८ | ३१७९५००० | |
| ७ | गत मौज्दात | २३५२६८४५ | ०० | |
| | जम्मा | १०८५६३६२१ | १२६०८९००० | |

नोट : आ.ब २०७९।०८० का लागि कुल राजस्व प्रक्षेपण ११९१७२००० गरिएकोमा शिर्षकगत राजस्वको प्रक्षेपण नगरिएको हुदा शिर्षकगत राजस्व प्रगती प्रतिशत प्रस्तुत गर्न सकिएन ।

राजस्व नीतिहरू

आ.व. २०८०/०८१ का लागि प्रक्षेपित राजस्व संकलन लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि राजश्व प्रशासन तर्फ निम्नानुसारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको अवलम्बन गर्ने:

- नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त राजश्व सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दै गाउँपालिकालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध एवम् आत्मनिर्भर बनाउन राजश्वका सबै सम्भावना र क्षेत्रहरुको खोजी गर्दै प्रगतिशील र समतामूलक ढंगले करका दरहरु निर्धारण गर्ने।
- गाउँपालिका भित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर लगायतको विक्री तथा निकासी प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन सम्भाव्य सबै क्षेत्रहरुलाई करको दायरामा ल्याउने। साथै यस गाउँपालिका नदीजन्य तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत सामाग्रीहरुको उपयोग गरे बापतको कर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको दरमा असुली गर्नको लागि आवश्यक पहल गर्ने।
- गाउँपालिकाले उठाउने आन्तरिक राजश्व स्रोत तर्फ कर, सेवा शुल्क, दस्तुरका प्रगतीशिल दररेट कायम गरी सबै करदातालाई समेटी करको दायरा विस्तार गर्ने।
- गाउँपालिका अन्तर्गत करदाताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने। समयमा कर नतिर्नेलाई थप जरिवाना गर्दै लामो समय कर नतिरी अटेर गर्नेलाई गाउँपालिकाले दिने सबै सेवा सुविधा रोक्का गर्ने निती अवलम्बन गर्ने।
- राजश्व प्रशासनको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाई लागू गर्ने। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने।
- सबै किसिमका पेशा व्यवसाय संचालनको दर्ता, नविकरण गर्ने कार्यलाई छिटो, छरितो, सरल, पारदर्शी र करदाता मैत्री बनाउने।
- सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि बनाई सार्वजनिक जग्गामा संचालित सबै किसिमका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने।
- कर संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाई प्रक्षेपण गरिएको राजश्व यथा समयमा संकलन गर्न वडा समिति र टोल विकास संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने।
- “विकास र समृद्धिको लागि नियमित तिरौं कर : तिरेको कर विकास मार्फत फर्किन्छ, गाँउ घर” नाराका साथ सबै वडामा करदाता शिक्षा कार्यक्रम तथा घुम्ती कर संकलन अभियानका रूपमा संचालन गर्ने
- स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम आगामी आ.व.हरुमा गाउँपालिकालाई सम्पत्ति कर प्रणालीमा आवद्ध गर्ने। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने।

कर संकलनका आधारहरु

स्थानीय कर अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु नै स्थानीय करका आधारहरु हुन्। स्थानीय करका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन्। ती व्यवस्थाहरु देहायानुसार छन्:

क. सबैधानिक व्यवस्था

- आर्थिक अधिकार बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा आर्थिक ऐन बनाउन सक्ने, धारा ५९, धारा २२६
- कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहले कर लगाउन र उठाउन नपाउने, धारा २२८
- स्थानीय तहले छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने, धारा २२८

स्थानीय तहले अनुसूची ८ को ४ नं. बुँदा बमोजिम देहायको कर लगाउने अधिकार हुने :

- सम्पत्ति कर
- घर बहाल कर
- घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क
- सवारी साधन कर
- सेवा शुल्क दस्तुर
- पर्यटन शुल्क
- विज्ञापन कर
- व्यवसाय कर
- भूमिकर (मालपोत)
- दण्ड जरिवाना
- मनोरञ्जन कर
- मालपोत संकलन।

ख. कानूनी व्यवस्था

(१) अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम अनुसूची ३ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्ने, दफा ३

अनुसूचि-३ बमोजिम कर तथा गैर कर देहाय बमोजिम हुने :

(क) कर

- सम्पत्ति कर
- घर बहाल कर
- घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क
- सवारी साधन कर
- भूमि कर
- मनोरञ्जन कर
- विज्ञापन कर
- व्यवसाय कर

(ख) गैर कर

- सेवा शुल्क दस्तुर
- पर्यटन शुल्क
- दण्ड जरिवाना
- अन्य विविध

(२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

- कानून बमोजिम बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर
- लगाउन, उठाउन नपाउने, दफा ५४

- गाउँपालिका देहायका करहरु लगाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ :
- सम्पति कर, दफा ५५
- भूमिकर (मालपोत), दफा ५६
- घर जग्गा बहाल कर, दफा ५७
- व्यवसाय कर, दफा ५८
- बहाल विटौरी शुल्क, दफा ५९
- पार्किङ शुल्क, दफा ६०
- जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, दफा ६१
- सेवा शुल्क, दफा ६२
- प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्र भित्रका कर निर्धारण, संकलन
- तथा बाँडफाँट देहायानुसार रहेको छ, (दफा ६४)
- सवारी साधन करको दर निर्धारण तथा संकलन प्रदेशले गर्ने, तर गाउँपालिका वा
- नगरपालिकाले टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई-रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा
- संकलन गरी आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ,
- घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको संकलन गाउँपालिका वा
- नगरपालिकाले गर्ने,
- विज्ञापन करको दर निर्धारण र संकलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,
- मनोरञ्जन करको दर र संकलन गर्ने तरिका प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको संकलन
- गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,
- पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण र संकलन गर्ने,
- उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, सङ्ग्राहलय जस्ता सम्पदा
- उपयोगको प्रवेश शुल्क गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारण र संकलन गर्ने,
- ढुङ्गा, गिड्ठी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत
- करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गर्ने ।

आगामी आ.व.को लागि प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजस्वको प्रस्तावित दर रेट

अनुसूची-१

दफा (२) संग सम्बन्धित

सम्पति कर

| सि. नं. | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९१०८० | ख शशार्षिक करको दर (रु) ०८०१०८१ |
|---------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | घर/संरचना | | | | |
| १ | ईन्द्रावती गाउँपालिका अन्तर्गत नवलपुर, ऐसेलुखर्क, जिरोकिलो, भेडिचौर, ज्यामिरमाने, पोखरे, देउराली, सिपाटार, भीमटार, बजार क्षेत्रका आर.सि.सि. घरहरू | प्रति वर्ग फिट | .५० | .५० | .५० |
| २ | ईन्द्रावती गाउँपालिका अन्तर्गत आँपचौर, वडहरे, तीनधारा, तीनधरे, कोटडाँडा, जौडाँडा, लहरेमाने, बोडगाउँ बजार क्षेत्रका आर.सि.सि. घरहरू | प्रति वर्ग फिट | .२५ .२५ | .५० .५० | .५० .५० |
| ३ | सि.नं. १ र २ मा उल्लेख गरिएका क्षेत्र भन्दा बाहेकका आर.सि.सि. घरहरू | प्रति वर्ग फिट | | | |
| ४ | सि.नं. १ अन्तर्गत रहेका लोड वियरिङ घरहरू | प्रति वर्ग फिट | .२० | .२० | .२० |
| ५ | सि.नं. २ अन्तर्गत रहेका लोड वियरिङ घरहरू | प्रति वर्ग फिट | .१५ | .१५ | .१५ |
| ६ | दुंगा माटोले बनेको जस्ताको छाना भएको घर | प्रति घर | ५० | ५० | ५० |
| ७ | घरधुरी कर | प्रतिघर धुरी | १०० | १०० | १०० |

गाउँपालिका भित्र सम्पति करको सम्भाव्यता अध्ययन र करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सम्पन्न गरेपश्चात कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

अनुसूची-२

दफा (३) संग सम्बन्धित

मालपोत/भुमी कर

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९१०८० | वार्षिक करको दर (रु) ०८०१०८१ |
|-------|--|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| १ | पक्की सडक तर्फ | | | | |
| २ | दुई रोपनीसम्म | | | | ५५ |
| ३ | दुई रोपनी देखि पाँच रोपनीसम्म | थप प्रति रोपनी | | | ६५ |
| ४ | पाँच रोपनी देखि दश रोपनीसम्म | थप प्रति रोपनी | | | ७५ |
| ५ | दश रोपनी भन्दा माथि | थप प्रति रोपनी | | | ८५ |
| ६ | मोटरबाटो (ग्रामेल, माटे सडक) संग जोडिएका जग्गा | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|----|----|----|----|
| २१ | दुई रोपनीसम्म | | | ४० | ४० | ४० |
| २२ | दुई रोपनी देखि पाँच रोपनीसम्म | थप प्रति रोपनी | ५० | ५० | ५० | |
| २३ | पाँच रोपनी देखि दश रोपनीसम्म | थप प्रति रोपनी | ६० | ६० | ६० | |
| २४ | दश रोपनी भन्दा माथि | थप प्रति रोपनी | ७० | ७० | ७० | |
| ३ | धान खेत तर्फ | | | | | |
| ३१ | दुई रोपनीसम्म | | २० | २० | २० | |
| ३२ | दुई रोपनी देखि पाँच रोपनीसम्म | थप प्रति रोपनी | ३० | ३० | ३० | |
| ३३ | पाँच रोपनी देखि दश रोपनीसम्म | थप प्रति रोपनी | ४० | ४० | ४० | |
| ३४ | दश रोपनी भन्दा माथि | थप प्रति रोपनी | ५० | ५० | ५० | |
| ४ | पाखो बारी तर्फ | | | | | |
| ४.१ | दुई रोपनीसम्म | | ५ | ५ | ५ | |
| ४.२ | दुई रोपनी देखि दश रोपनीसम्म | थप प्रति रोपनी | १० | १० | १० | |
| ४.३ | दश रोपनी देखि माथि | थप प्रति रोपनी | १५ | १५ | १५ | |
| विलम्ब शुल्क एक वर्षसम्म १५ प्रतिशत, दोश्रो वर्ष २५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि ३५ प्रतिशत थप लाग्नेछ। | | | | | | |

अनुसूची - ३

दफा (४) संग सम्बन्धित

बहाल कर

| सि.नं. | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (₹) ०९८ ०९९ | वार्षिक करको दर (₹) ०९९ ०८० | वार्षिक करको दर (₹) ०८० ०८१ |
|--------|--|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| १ | घर जग्गा बहाल कर | - | ॥प्रतिशत | ॥प्रतिशत | ॥प्रतिशत |
| २ | जग्गा बहाल कर(कृषि व्यवसाय गर्ने कर्मको हकमा ७० प्रतिशत छुट दिइनेछ। | | | | ॥प्रतिशत |
| ३ | सवारी साधन भाडा कर | | | | ॥प्रतिशत |

अनुसूची - ४

दफा (५) संग सम्बन्धित

व्यवसाय कर

| सि.नं. | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (₹) ०७८।०७९ | वार्षिक करको दर (₹) ०७९।०८० | वार्षिक करको दर (₹) ०८०।०८१ |
|--------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I | लघु घरेलु उद्योग तथा दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थ विक्रीता | | | | |
| II | व्यवसाय दर्ता ₹. ५ लाख सम्म पूँजीगत | | १५०० | १५०० | १५०० |
| 1.२ | व्यवसाय दर्ता ₹. ५ लाख भन्दा माथि सम्म पूँजी भएको | | २००० | २००० | २००० |
| 1.३ | व्यवसाय नविकरण (₹. ५ लाख र सो भन्दा माथि) | | १५०० | १००० | १००० |
| 1.४ | व्यवसाय नविकरण (₹. ५ लाख र सो भन्दा कम) | | १५०० | ५०० | ५०० |
| १.५ | व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि | | २०० | २०० | २०० |
| 2 | सुन पसल ज्वेलरी | | | | |
| 2.१ | सुन पसल दर्ता | | ३००० | ३००० | ३००० |
| 2.२ | सुन पसल दर्ता नवीकरण | | २५०० | २५०० | २५०० |
| 2.३ | सुनचारीका गहना बनाउने मर्मत गर्ने पसल | | ५०० | ५०० | ५०० |
| 3 | निर्माण व्यवसायी | | | | |
| 3.१ | क श्रेणीका निर्माण व्यवसायी दर्ता सिफारिस, सूचिकृत | | ६००० | ६००० | ६००० |
| 3.२ | ख श्रेणीका निर्माण व्यवसायी दर्ता सिफारिस, सूचिकृत | | ५८०० | ५८०० | ५८०० |
| 3.३ | ग श्रेणीका निर्माण व्यवसायी दर्ता सिफारिस, सूचिकृत | | ५५०० | ५५०० | ५००० |
| 3.४ | क,ख,ग वर्गका निर्माण व्यवसायी नविकरण | | - | - | ३००० |
| 3.५ | घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत दस्तुर | | १०००० | १०००० | १०००० |
| 3.६ | घ (वर्ग) श्रेणीको नवीकरण दस्तुर | | ५००० | ५००० | ५००० |
| 3.७ | घ श्रेणीको इजाजतपत्र नामसारी, प्रतिलिपि र कम्पनी/प्रा.लि.मा परिवर्तन दस्तुर | | २००० | ५००० | ५००० |

(आश्विन मसान्तसम्म नवीकरण नगरेमा सोही आ.व भित्र दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ ।)

| | | | | | |
|-----|--|--|-------|--------|--------|
| 4 | कसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग | | | | |
| 4.१ | वासिड(बालुवा प्रशोधन) दर्ता | | | १००००० | २००००० |
| 4.२ | वासिड(बालुवा प्रशोधन) नविकरण | | | ५०००० | १००००० |
| 4.३ | बालुवा प्रशोधन उद्योग नामसारी | | | | ७५००० |
| 4.४ | कसर उद्योग दर्ता | | ५०००० | ५००००० | ५००००० |
| 4.५ | कसर उद्योग नवीकरण | | ५०००० | ३००००० | ३००००० |
| 4.६ | कसर उद्योग नामसारी | | | | १५०००० |
| 4.७ | सन्चालनमा नआएको कसर व्यवसाय नविकरण गर्न प्रति वर्ष | | | १००००० | १००००० |

| | | | | | |
|------|---|--|--------|--------|--------|
| 4.8 | स्कार्मेटर तथा जे.सि.वि.सुचिकृत तथा मेसिन प्रयोगक्रमसरको लागि | | 100000 | 200000 | 250000 |
| 4.9 | स्कार्मेटर तथा जे.सि.वि.सुचिकृत तथा मेसिन प्रयोग वासिडको लागि | | 100000 | 100000 | 175000 |
| 4.10 | नदिजन्य पदार्थ संकलनमा स्कार्मेटर जेसिभि परिवर्तन | | | 25000 | 50000 |
| 4.11 | स्कार्मेटर तथा जे.सि.वि.सुचिकृत तथा मेसिन प्रयोगक्रमसरको वाहय | | | | 350000 |
| 4.12 | स्कार्मेटर तथा जे.सि.वि.सुचिकृत तथा मेसिन प्रयोग वासिडको वाहय | | | | 250000 |
| 4.13 | नदिजन्य पदार्थ संकलनमा स्कार्मेटर जेसिभि परिवर्तन वाहय | | | | 75000 |
| ५ | पेट्रोलियम पदार्थका थोक तथा खुद्रा व्यापार | | | | |
| ५.१ | एक भन्दा वढी पम्प भएका | | 3000 | 3000 | 5000 |
| ५.२ | एक मात्र पम्प भएका | | 2000 | 2000 | 3000 |
| ५.३ | झम्मा पट्रोलियम पदार्थ विक्रेता बाट तेल बेच्ने | | 500 | 500 | 1500 |
| ६ | विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा | | | | |
| ६.१ | चिकित्सक | | 1000 | 1000 | 1000 |
| ६.२ | कविराज वैद्य | | 500 | 500 | 500 |
| ६.३ | कानुन व्यवसायि | | 500 | 500 | 500 |
| ६.४ | लेखापरिक्षक घ वर्ग | | 500 | 500 | 500 |
| ६.५ | दन्त चिकित्सक | | 500 | 500 | 500 |
| ६.६ | अनुसन्धान कर्ता र परामर्शदाता(नक्सा डिजाइनर) | | 1000 | 1000 | 1000 |
| ६.७ | कम्प्युटर एनालिष्ट र प्रोग्राम | | 500 | 500 | 500 |
| ६.८ | विमा एजेन्ट | | 200 | 500 | 500 |
| ६.९ | सर्भेएर | | 400 | 400 | 500 |
| ६.१० | अनुवादक | | 400 | 400 | 400 |
| ६.११ | पशु चिकित्सक | | 500 | 500 | 500 |
| ६.१२ | सामान दुवानी कर्ता तथा कम्पनी स्थानिय | | 1000 | 1000 | 1000 |
| ६.१३ | संस्थागत पेन्टर स्थानिय | | 200 | 500 | 500 |
| ६.१४ | लेखापढी व्यवसाय | | 200 | 500 | 500 |
| ७ | ईंटटा भट्टा उच्चोग | | | | |
| ७.१ | ईंटटा भट्टा दर्ता | | 50000 | 50000 | 100000 |
| ७.२ | ईंटटा भट्टा नविकरण | | 25000 | 25000 | 25000 |
| ८ | वित्तीय सेवा | | | | |
| ८.१ | निजी क्षेत्रको आर्थिक कारेवार गर्ने क वर्गका बैंकको शाखा | | 15000 | 15000 | 10000 |
| ८.२ | निजी क्षेत्रको आर्थिक कारेवार गर्ने ख वर्गका बैंकको शाखा | | 12000 | 12000 | 8000 |
| ८.३ | निजी क्षेत्रको आर्थिक कारेवार गर्ने ग वर्गका बैंकको शाखा | | 10000 | 10000 | 10000 |
| ८.४ | निजी क्षेत्रको आर्थिक कारेवार गर्ने घ वर्गका बैंकको शाखा | | 5000 | 5000 | 7000 |

| | | | | | |
|------|--|--|------|-------|-------|
| ८.५ | विमा कम्पनी शाखा | | 7000 | 7000 | 5000 |
| ८.६ | सहकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्था | | 2000 | 2000 | 5000 |
| ९ | सहकारी संस्था | | | | |
| ९.१ | दश लाखभन्दा बढ़ी पुँजी भएको बचत ऋण तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता | | 5000 | 5000 | 5000 |
| ९.२ | दश लाखभन्दा बढ़ी पुँजी भएको बचत ऋण तथा बहुउद्देश्यीय हकारी संस्था नविकरण | | | | 2500 |
| ९.३ | दश लाखसम्म पुँजी भएको बचत ऋण तथा अन्य सहकारी संस्था दर्ता | | 3000 | 3000 | 3000 |
| ९.४ | दश लाखसम्म पुँजी भएको बचत ऋण, बहुउद्देश्यीय र अन्य सबै प्रकारका सहकारी संस्था नविकरण | | | | 1500 |
| ९.५ | घ) कार्यक्रम योजना माग तथा दर्ता सिफारिस | | 1000 | 1000 | 1000 |
| ९.६ | सहकारी एकिकरण तथा नाम परिवर्तन, उद्देश्य परिवर्तन | | | 1000 | 1000 |
| ९.७ | कृषि तथा पोषण समुह दर्ता तथा नविकरण | | 100 | 100 | 100 |
| १० | स्वास्थ्य सेवा | | | | |
| १०.१ | गैर सरकारी अस्पताल (सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने) दर्ता | | 3000 | 3000 | 5000 |
| १०.२ | क्लिनिक तथा ल्याव अन्य सबै स्वास्थ्य सेवा दर्ता | | 500 | 500 | 3000 |
| १०.३ | गैर सरकारी अस्पताल (सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने) नविकरण | | | | 3000 |
| १०.४ | क्लिनिक तथा ल्याव अन्य सबै स्वास्थ्य सेवा नविकरण | | | | 1500 |
| ११ | शिक्षा सेवा (निजी क्षेत्रका स्कुल, क्याम्पस, विश्वविद्यालय) | | | | |
| ११.१ | आधारभूत स्तरका विद्यालय | | 500 | 5000 | 5000 |
| ११.२ | माध्यमिक स्तरका विद्यालय | | 1000 | 10000 | 10000 |
| ११.३ | क्याम्पस स्तर | | 1500 | 15000 | 15000 |
| ११.४ | स्तर बढ़ि आधारभूत स्तर | | 1500 | 500 | 500 |
| ११.५ | स्तर बढ़ि माध्यमिक स्तर | | 2000 | 2000 | 2000 |
| ११.६ | स्तर बढ़ि क्याम्पस / क्लेज स्तर | | 2500 | 1500 | 2500 |
| १२ | तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य | | | | |
| १२.१ | टेक्नीकल इन्स्टीच्युट (१५ माहिने) प्रति विद्या | | 1000 | 1000 | 1000 |
| १२.२ | कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र | | 500 | 1000 | 1000 |
| १२.३ | केबल नेटवर्कलाई ग्राहक संख्याको आधारमा | | 3000 | 3000 | 3000 |
| १२.४ | स्थानपावर कम्पनी शाखा कार्यालय | | 2000 | 5000 | 5000 |
| १२.५ | अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था | | 3000 | 5000 | 5000 |
| १२.६ | ईट्रा, दुङ्गा उद्योग विक्री डिपो | | 1000 | 5000 | 5000 |
| १२.७ | ड्राई क्लीनिंस | | 500 | 5000 | 5000 |
| १२.८ | मोबाइल टावर शुल्क प्रति टावर | | 2000 | 5000 | 5000 |
| १२.९ | एग्रोभेट सेन्टर | | 500 | 500 | 1500 |
| १३ | संस्था दर्ता | | | | |
| १३.१ | कार्यक्रम संचालन स्वीकृति | | 1000 | 1000 | 1000 |

| | | | | | |
|------|---|--|------|------|------|
| 13.2 | नाफामुलक संस्था दर्ता | | 3000 | 3000 | 3000 |
| 13.3 | गैरनाका मुलक संस्था दर्ता | | 1500 | 1500 | 1500 |
| 13.4 | नफामुलक तथा गैर नाफामुलक संस्था नविकरण | | | | |
| 14 | गैर नाफामुलक संस्था नविकरणका लागि सिफारिस दस्तुर | | | | |
| 14.1 | रु १ लाख देखि २० लाखसम्म कारोबार भएको संस्था | | 1500 | 1500 | 1500 |
| 14.2 | रु २० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार भएको संस्था | | 3000 | 3000 | 3000 |
| 14.3 | रु १ करोड देखि माथि कारोबार भएको संस्था | | 5000 | 5000 | 5000 |
| 14.4 | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था दर्ता, नविकरण | | 5000 | 5000 | 5000 |
| 14.5 | गुम्बा, मठ मन्दिर, खानेपानी मूहान उपभोक्ता समिति दर्ता | | | 1500 | 1000 |
| 14.6 | गुम्बा, मठ मन्दिर चर्चा, खानेपानी मूहान उपभोक्ता समिति नविकरण | | | | 500 |
| 15 | एफ एम रेडियो दर्ता | | | | |
| 15.1 | एफ एम रेडियो दर्ता सञ्चालन स्विकृति | | | 5000 | 5000 |
| 15.2 | एफ एम रेडियो नविकरण | | | 1000 | 1000 |

माथि उल्लेख भएका सबै व्यवसायहरू प्रत्येक आ.व. को आश्वन मसान्त भित्र नविकरण नगरेमा २० प्रतिशत थप जरीवाना लाग्नेछ । सम्बन्धित व्यवसाय शिर्षकमा नविकरण शुल्क उल्लेख नभएको अवस्थामा दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत नविकरण शुल्क लाग्नेछ ।

अनुसूची-५

दफा (६) संग सम्बन्धित

जडीबुटी र जीवजन्तु कर

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८।०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९।०८० | वार्षिक करको दर (रु) ०८०।०८१ |
|-------|--|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| १ | ऊन, खोटो निकासी शुल्क | प्रति के.जी. | ६ | ६ | ६ |
| २ | बज्रजन्ती, काफलको बोका, चुत्रोको बोका निकासी शुल्क | प्रति के.जी. | २ | २ | २ |
| ३ | लोठ सल्लाको पात, सतुवा, निकासी शुल्क | प्रति के.जी. | ५ | ५ | ५ |
| ४ | धर्संगरे निकासी शुल्क | प्रति के.जी. | ३ | ३ | ३ |
| ५ | धुपीको काठ निकासी शुल्क | प्रति के.जी. | २० | २० | २० |
| ६ | पैयुको बोको, सल्लाको सिइटा, एसेलुको डाँठ, तितेपाती, माजिठो, धुपीको पात, अमला, काउलो, हर्च, बर्च निकासी शुल्क | प्रति के.जी. | १ | १ | १ |
| ७ | साल प्रति क्यू फिट | प्रति क्यू फिट | २०० | २०० | २०० |

| | | | | | |
|----|---|----------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|
| ८ | सल्लो, उत्तिस, चिलाउने, कटुस, मौवा, अस्ना (साज), शिरिस, सिमल, अन्य | प्रति क्यू.फिट | ५ | जिल्ला भित्र ५ जिल्ला बाहिर २० | जिल्ला भित्र ५ जिल्ला बाहिर २० |
| ९ | दाउरा | प्रति टिप | ५०० | ५०० | ५०० |
| १० | काठ कटानी, मुच्छानी र पाइलिङ्ग (समूह भन्दा बाहिर विक्री/निकासी) गरेमा | प्रति क्यू.फिट | २० | २० | २० |
| ११ | प्रचलित कानूनले निषेध गरेका जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख, छाला आदि निकासी शुल्क | प्रति के.जी. | ५ | ५ | ५ |

अनुसूची - ६

दफा (७) संग सम्बन्धित

सवारी साधन कर

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८।०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९।०८० | वार्षिक करको दर (रु) ०८०।०८१ |
|-------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| १ | बस | प्रति | ३००० | ३००० | ३००० |
| २ | ट्रक | प्रति | ३००० | ३००० | ३००० |
| ३ | हलुका सवारी साधन | प्रति | २००० | २००० | २००० |
| ४ | टयाक्टर | प्रति | १५०० | १५०० | १५०० |
| ५ | मोटरसाइकल | प्रति | १००० | १००० | १००० |
| ६ | स्कुटर | प्रति | ५०० | ५०० | ५०० |
| ७ | स्कार्मेटर सुचिकृत | प्रतिगोटा | १०००० | १०००० | १०००० |
| ८ | जे.सी.वी सुचिकृत | प्रतिगोटा | ५००० | ५००० | ५००० |

अनुसूची - ७

दफा (८) संग सम्बन्धित

विज्ञापन कर

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८।०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९।०८० | वार्षिक करको दर (रु) ०८०।०८१ |
|-------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| १ | होडिङ बोर्ड /साइन बोर्ड | प्रति वर्ग फिट | ७५ | ७५ | ७५ |
| २ | व्यापारिक स्टल | प्रति गोटा | १५० | १५० | १५० |
| ३ | धातुको फ्रेम वा विद्युतीय तरङ्ग प्रयोग गरिएको प्रचार सामाग्री | प्रति वर्ग फिट | २०० | २०० | २०० |
| ४ | रेडियो विज्ञापन कर | ° | १ प्रतिशत | १ प्रतिशत | १ प्रतिशत |
| ५ | पत्रपत्रिका विज्ञापन कर | ° | २ प्रतिशत | २ प्रतिशत | २ प्रतिशत |
| ६ | टेलिभिजन | | ३ प्रतिशत | ३ प्रतिशत | ३ प्रतिशत |

यस आ.व मा विज्ञापन कर ठेक्का मार्फत उठाउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

अनुसूची - ८
दफा (९) संग सम्बन्धित
मनोरञ्जन कर

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८।०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९।०८० | वार्षिक करको दर (रु) ०८०।०८१ |
|-------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| १ | सिनेमा हल, भिडियो यात्र प्रवेश शुल्कमा | २ प्रतिशत | ३ प्रतिशत | ३ प्रतिशत | ३ प्रतिशत |
| २ | जादु, सर्कस, चटक प्रतिदिन | ५०० | १००० | १००० | १००० |
| ३ | कृषि तथा अन्य स्टल प्रदर्शन प्रतिदिन | - | ५०० | ५०० | ५०० |
| ४ | केवुल प्रति ग्राहक | - | १०० | १०० | १०० |
| ५ | मेला महोत्सव टिकटको | - | १० प्रतिशत | १० प्रतिशत | १० प्रतिशत |
| ६ | मेला महोत्सव एकमुष्ट | - | १०००० | १०००० | १०००० |

अनुसूची - ९
दफा (१०) संग सम्बन्धित
बहाल बिटौरी कर

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८।०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९।०८० | वार्षिक करको दर (रु) ०८०।०८१ |
|-------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | सार्वजनिक संरचना/जग्गाहरू | | | | |
| १ | नदीजन्य पदार्थ उत्पादन/संकलन सम्बन्धी उद्योग | प्रति रोपनी | १०००० | १०००० | १०००० |
| २ | कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसाय | प्रति रोपनी | २५०० | २५०० | २५०० |
| ३ | स्थायी संरचना बनेकाको हकमा | प्रति वर्ग फिट | २५ | २५ | २५ |
| ४ | अस्थायी संरचना बनेकाको हकमा | प्रति वर्ग फिट | २० | २० | २० |
| ५ | हाट बजार | प्रति दिन प्रति स्टल | ५० | ५० | ५० |
| ६ | भवन | | | | |
| | क) पक्की | प्रति वर्ग फिट | ७० | ७० | ७० |
| | ख) कच्ची | प्रति वर्ग फिट | ५० | ५० | ५० |

अनुसूची - १०
दफा (११) संग सम्बन्धित
पार्किङ शुल्क

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८।०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९।०८० | वार्षिक करको दर (रु) ०८०।०८१ |
|-------|----------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| १ | स्कुटर/मोटरसाइकल | प्रति घण्टा | ५ | १० | १० |
| २ | हलुका सवारी साधन | प्रति घण्टा | १५ | २० | २० |
| ३ | ट्रायाक्टर | प्रति घण्टा | १५ | २० | २० |
| ४ | ह्याभी सवारी साधन-बस, ट्रक | प्रति घण्टा | २० | २० | २० |

अनुसूची - ११

दफा (१२) संग सम्बन्धित

ट्रेकिङ शुल्क

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८।०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९।०८० |
|-------|---------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| १ | ट्रेकिङ | प्रतिव्यक्ति प्रति दिन | ५० | ५० |

अनुसूची - १२

दफा (१३) संग सम्बन्धित

सेवा, शुल्क तथा दस्तुर

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७८।०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९।०८० | वार्षिक करको दर (रु) ०८०।०८१ |
|----------------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| १ | सबै प्रकारका निवेदन दस्तुर | | | १०० | १०० |
| सिफारिस दस्तुर | | | | | |
| २ | अंग्रेजीमा गरिने सबै सिफारिस प्रति वटा (सम्पति मुल्याकान वाहेक) | | ५०० | ५०० | ३०० |
| ३ | अंग्रेजीमा प्रतिलिपि | | | | ३०० |
| ४ | नेपालीमा गरिने देहाय बमोजिमका सिफारिस | | | | |
| ४.१ | नागरिकता, नागरिकता प्रतिलिपि, सिफारिस, नाता प्रमाणित स्वदेश प्रयोजन, नाता कायम, | | १०० | १०० | १०० |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|------|------|---------------------|
| | नावालक, जन्म मिति प्रमाणित, वैवाहिक सम्बन्ध प्रमाणित, अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणित, खानेपानी, टेलिफोन जडान, नामसारी, ठाउँसारी, विद्युत मिटर जडान सिफारिस (उद्योग), खानेपानी मिटर जडान सिफारिस | | | | |
| ५ | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | | ५०० | ५००० | ५००० |
| ६ | पारिवारिक विवरण, बसोबास प्रमाणित, चारीत्रिक प्रमाणित सिफारिस, नाता प्रमाणित विदेश प्रयोजन | | २०० | २०० | ५०० |
| ७ | विद्युत मिटर जडान सिफारिस(उद्योग) | | १५०० | १५०० | १५०० |
| ८ | दुंगा निकासी (खानी तथा पुराना घरको) शुल्क | प्रति स्क्वाएर फुट | ४ | ९ | ९ |
| ९ | व्यक्तिगत घटना दर्ता | | | | |
| १ | परिचयपत्रको विलम्ब दस्तुर | | | २०० | २०० |
| २ | परिचयपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर | | | ५०० | ५०० |
| ३ | व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब दस्तुर | | | २०० | २०० |
| ४ | व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रतिलिपि दस्तुर | | | ५०० | ५०० |
| ५ | व्यक्तिगत घटना तथा नागरिक अभिलेख दर्ता किताव हेरेको दस्तुर | | | २०० | २०० |
| ६ | क) परिचय पत्र नं. वा वैयक्तिक विवरणको प्रमाणिकरण सेवा वापतको प्रतिव्यक्ति प्रति टिकट दस्तुर | | | ५ | ५ |
| ७ | ख) जैविक विवरण वा परिचयपत्रको प्रमाणिकरणको सेवा वापत प्रतिव्यक्ति टिकट दस्तुर | | | १० | १० |
| ८ | ग) परिचय नं. जैविक विवरण,वा परिचयपत्रको प्रमाणिकरण भई सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य वैयक्तिक विवरण प्रमाणित गरे वापत प्रतिव्यक्ति प्रति टिकट दस्तुर | | | २० | २० |
| | रुख कटान सिफारिस | | | | |
| १ | १ वटा रुख देखि १० वटा रुख सम्म | ०- | ५०० | ५०० | ५०० |
| २ | ११ वटा रुख देखि ३० वटा रुख सम्म | प्रति रुख | १०० | १०० | १०० का दरले थप हुने |
| | घरेलु तथा साना उद्योगको सर्जिमिन तथा सिफारिस | | | | |
| १ | ठूला उद्योग दर्ता, नामसारी सिफारिस | | ५००० | ५००० | ५००० |
| २ | मझौला उद्योग दर्ता, नामसारी सिफारिस | | २५०० | २५०० | २५०० |
| ३ | साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता, नामसारी | | १५०० | १५०० | १५०० |
| ४ | व्यवसाय बन्द तथा नाम परिवर्तन | | २०० | ५०० | ५०० |
| ५ | मदिरा तथा सुर्ति जन्य व्यवसाय सिफारिस (खुद्रा) | | १००० | १००० | १००० |
| ६ | मदिरा तथा सुर्ति जन्य व्यवसाय सिफारिस (थोक) | | २००० | २००० | २००० |
| ७ | वडा सर्जिमिन प्रमाणित | | १०० | १०० | १०० |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------|--------|--------|
| ८ | सिमेन्ट उच्चोग दर्ता सिफारिस | | २००००० | २००००० | २००००० |
| ९ | पेट्रोल पम्प दर्ता सिफारिस | | २००००० | २००००० | १००००० |
| १० | वनजन्य वस्तुको विकि सिफारिस | | १५०० | १५०० | १५०० |
| ११ | पर्यटन स्तरीय होटल सिफारिस | | २००० | २००० | २००० |
| घर जग्गा रजिस्ट्रेशन पास | | | | | |
| १ | पहिलो कित्ता | | ५०० | ५०० | ५०० |
| २ | पहिलो कित्ता पछि थप प्रति कित्ता | | १०० | १०० | १०० |
| ३ | ट्रेस नक्सा निर्माण तथा प्रमाणित प्रति कित्ता | | २०० | २०० | २०० |
| ४ | उजुरी निवेदन दस्तुर | | १०० | १०० | १०० |
| ५ | मिलापत्र दस्तुर | | ३०० | ३०० | ३०० |
| ६ | जग्गा दर्ता वा नामसारी सिफारिस ५ रोपनी सम्म | | २०० | २०० | २०० |
| ७ | थप प्रति रोपनी | | २५ | २५ | २५ |
| ८ | राजिनामा, बक्सपत्र सिफारिस | | ३०० | ३०० | २०० |
| ९ | अशंबण्डा सिफारिस | | २०० | २०० | २०० |
| १० | नाम सच्याई सर्जिमिन | | २०० | २०० | १०० |
| ११ | बडा सर्जिमिन मुचुल्का | | | | ५०० |
| १२ | घर नक्सा नामसारी | | ५०० | ५०० | ५०० |
| १३ | प्लाटिङ इजाजत प्रति रोपनी | | २००० | ५००० | ४००० |
| १४ | घर पातल प्रमाणित | | १०० | १०० | १०० |
| १५ | घर कायम सिफारिस | | ५०० | ५०० | ५०० |
| १६ | चार किल्ला प्रमाणित थप प्रति कित्ता ५० | | ५०० | ५०० | ५०० |
| | घर जग्गा सम्पत्ति आयश्रोत प्रमाणित मुल्यांकन | | | | |
| १ | १लाख देखि १० लाख सम्म | | १००० | १००० | ५०० |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|------|------|------|
| २ | १० लाख १ देखि ३० लाख सम्म | | २००० | २००० | ९००० |
| ३ | सो भन्दा माथि थप प्रति लाख | | १०० | १०० | १०० |

| विविध सिफारिस | | | | | |
|--|---|-------------|----------|----------|----------|
| १ | जीवित रहेको सिफारिस | | १०० | १०० | १०० |
| २ | घर जग्गा करको लेखा जोखा सिफारिस | | ५०० | ५०० | ५०० |
| ३ | निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | | नि:शुल्क | नि:शुल्क | नि:शुल्क |
| ४ | स्वास्थ्य उपचार सिफारिस, संरक्षक प्रमाणित, व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस, हकवाला वा हकदार प्रमाणित, जग्गाको हक सम्बन्धी सिफारिस (सावजनिक, ऐलानी तथा पति जग्गा बाहेक), अन्य विविध प्रमाणित वा सिफारिस | | १०० | १०० | १०० |
| ५ | संस्थागत संरक्षक सिफारिस | | २०० | २०० | ५०० |
| ६ | पालन पोषण सिफारिस | | २०० | २०० | २०० |
| ७ | अपांगता भएका नागरिक, विपन्नताभूत वर्ष जेष्ठ नागरिक ६० वर्ष भन्दा माथिका एकल महिला प्रमाणित | | नि:शुल्क | नि:शुल्क | नि:शुल्क |
| ८ | आर्थिक अवस्था वलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | | ५०० | ५०० | ५०० |
| ९ | संस्थागत व्यवसाय जन्य नसमेटिएका सिफारिस | | ५०० | ५०० | ५०० |
| १० | भरुवा बन्दुक नवीकरण सिफारिस | | ५०० | १००० | २००० |
| योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता सेवा शुल्क | | | | | |
| १ | १ लाख सम्म | प्रति योजना | ० | ५० | ५० |
| २ | ५ लाख १ देखि ६ लाख सम्म | प्रति योजना | ० | ७५ | ७५ |
| ३ | ६ लाख १ देखि १० लाख सम्म | प्रति योजना | ० | १०० | १०० |
| ४ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | प्रति योजना | ० | १५० | १५० |
| ५ | २० लाख १ देखि ३० लाख सम्म | प्रति योजना | ० | ३०० | ३०० |
| ६ | ३० लाख १ देखि ४० लाख सम्म | प्रति योजना | ० | ३५० | ३५० |
| ७ | ४० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | प्रति योजना | ० | ४०० | ४०० |

| | | | | | |
|----|---|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| ८ | ५० लाख १ देखि ६० लाख सम्म | प्रति योजना | ० | ४५० | ४५० |
| ९ | ६० लाख १ एक करोड सम्म | प्रति योजना | ० | २००० | २००० |
| १० | योजना किताब | | | | २०० |
| ११ | १ करोड भन्दा माथि प्रति करोड | | | | १००० का दरले थप |
| १२ | ईन्द्रावती गाउँपालिकावाट स्विकृत योजनाहरुको कन्टीजेन्सी | | ५ प्रतिशत | ४ प्रतिशत | ४ प्रतिशत |
| १३ | उपभोक्त समिति दर्ता ५ लाख सम्म | | ५०० | ५०० | ५०० |
| १४ | उपभोक्त समिति दर्ता ५ लाख भन्दा माथि | | १००० | १००० | १००० |

नक्सा पास, निर्माण स्वीकृति शुल्क

| आवासीय | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| १ | क वर्गको | प्रति वर्ग फिट | १५ | १५ | १५ |
| २ | ख वर्गको | प्रति वर्ग फिट | १० | १० | १० |
| ३ | ग वर्गको (आरसिसि र लोड वेरिड) | प्रति वर्ग फिट | आर सि सि ४ लोड वेरिड ३ | आर सि सि ४ लोड वेरिड ३ | आर सि सि ४ लोड वेरिड ३ |
| ४ | घ वर्गको | प्रति वर्ग फिट | ४ | ४ | ४ |
| व्यवसायिक तथा व्यापारिक | | | | | |
| १ | क वर्गको | प्रति वर्ग फिट | २० | २० | २० |
| २ | ख वर्गको | प्रति वर्ग फिट | १५ | १५ | १५ |
| ३ | ग वर्गको | प्रति वर्ग फिट | आर सि सि ५ लोड वेरिड ४ | आर सि सि ५ लोड वेरिड ४ | आर सि सि ५ लोड वेरिड ४ |
| ४ | घ वर्गको | प्रति वर्ग फिट | ५ | ५ | ५ |
| ५ | नक्सा फेरबदल दस्तुर | प्रति घर | १००० | १००० | १००० |
| ६ | नक्सा पास किताब | | ५०० | ५०० | ५०० |
| ७ | तल्ला थप निवेदन शुल्क | प्रति घर | २००० | २००० | २००० |
| ८ | व्यापारिक व्यवसायिक भवन | प्रति वर्ग फिट | ३० | ३० | ३० |
| ९ | शैक्षिक भवन | प्रति वर्ग फिट | ८ | ८ | ८ |
| १० | संस्थागत भवन | प्रति वर्ग फिट | १० | १० | १० |
| ११ | औद्योगिक भवन | प्रति वर्ग फिट | ४० | ४० | ४० |
| १२ | निर्माण सम्पन्न वा नामासारी शुल्क (आर सि सि) | | १००० | १००० | १००० |
| १३ | निर्माण सम्पन्न वा नामासारी शुल्क (लोड वेरिड) | | ५०० | ५०० | ५०० |
| १४ | नक्सा पास प्रमाणपत्र, नक्सा प्रतिलिपि | | १००० | १००० | १००० |
| अभिलेखिकरण दस्तुर | | | | | |

| | आवासीय घर | | | | |
|----|---|----------------|---|---|--|
| १ | ६०० वर्ग फिट सम्मको लागि | प्रति वर्ग फिट | ४ | ४ | ४ |
| २ | ६०० वर्ग फिट देखि माथि १००० वर्ग फिट सम्मको लागि | प्रति वर्ग फिट | ५ | ५ | ५ |
| ३ | १००० वर्ग फिट देखि माथि सबै | प्रति वर्ग फिट | ६ | ६ | ६ |
| ४ | लोड वियरिङ्ग घरहरूको हकमा | प्रति वर्ग फिट | २ | २ | २ |
| | आवासीय तथा व्यापारिक घर | | | | |
| १ | ६०० वर्ग फिट सम्मको लागि | प्रति वर्ग फिट | ५ | ५ | ५ |
| २ | ६०० वर्ग फिट देखि माथि १००० वर्ग फिट सम्मको लागि | प्रति वर्ग फिट | ६ | ६ | ६ |
| ३ | १००० वर्ग फिट देखि माथि सबै | प्रति वर्ग फिट | ७ | ७ | ७ |
| ४ | लोड वियरिङ्ग घरहरूको हकमा | प्रति वर्ग फिट | ३ | ३ | ३ |
| ५ | (माथि सि.नं. ४.१ र ४.२ मा उल्लेख भएका भवनको पिलान्यको क्षेत्रफलको आधारमा वर्गीकरण गरिएको तथा सारिक स्थानीय निकायमा दर्ता भएका भवनहरूको हकमा | प्रति वर्ग फिट | | | १ |
| ६ | पिल्यन्थ लेवल भन्दा माथि Super Structure को नक्शा पास गरी तोकेको समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेमा थप विलम्ब शुल्क | | २००० वा २५ प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ । | २००० वा २५ प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ | २००० वा २५ प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ |
| ७ | स्थाद थप गरेपछि २ वर्ष भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरिएमा थप विलम्ब शुल्क | थप २५ प्रतिशत | थप २५ प्रतिशत | थप २५ प्रतिशत | |
| ८ | डिजाइन शुल्क | ५०० | ५०० | ५०० | |
| ९ | अमिनद्वारा स्थलगत नाँपजाँच | | १००० | १००० | |
| १० | घरबाटो भए नभएको प्रमाणित गरेको | | ५०० | ५०० | |
| ११ | घर जग्गा कर रसदको प्रतिलिपि | | ५० | ५० | |
| १२ | प्राविधिक फिल्ड गई डिपिसी चेक जाँच | | १००० | १००० | |
| १३ | छुट जग्गा दर्ता, मोही नामसारी सिफारिस | | १००० | १००० | |
| १४ | डिलर लिने सिफारिस | | | ५०० | |
| १५ | अमिन शुल्क घर नक्सा पास वाहेक | | प्रति २ कित्ता सम्म १००० त्यस भन्दा माथि २००० | प्रति २ कित्ता सम्म १००० त्यस भन्दा माथि २००० | |
| | भु सेवातर्फ | | | | |
| १ | राजिनामा | | | २००० | |
| २ | अंशबन्डा | | | १५०० | |
| ३ | लिखत | | | १५०० | |
| ४ | नामसारी | | | १००० | |
| ५ | रोक्का(धितो ,लागायतका अन्य प्रयोजन) | | | १००० | |
| ६ | मोही नामसारी | | | ३००० | |

| | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|
| ७ | जग्गा प्रशासन | | | १००० |
| ८ | प्रतिलिपि | | | १००० |
| भाडादर | | | | |
| ९ | हल भाडा प्रति दिन वा प्रति कार्यक्रम (गाउँपालिका तथा बडा कार्यालय | - | ५०० | ५०० |
| १० | जे.सि.वी मेशिन इन्धन चालक सहित | प्रतिघण्टा | २००० | ३००० |
| ११ | जे.सि.वी मेशिन इन्धन बाहेक | प्रतिघण्टा | १२०० | १२०० |

दफा (१४) संग सम्बन्धित

पर्यटन शुल्क

| सि.नं | विवरण | इकाई | वार्षिक करको दर (रु) ०७७० ७८ | वार्षिक करको दर (रु) ०७८०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९०८० |
|-------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| १ | नेपाल भित्रका पर्यटक (गा.पा बाहेक) | प्रति व्यक्ति | १० | १० | १० |
| २ | सार्क मूलुकका पर्यटक | प्रति व्यक्ति | १०० | १०० | १०० |
| ३ | अन्य मूलुकका पर्यटक | प्रति व्यक्ति | २५० | २५० | २५० |

अनुसूची-१४

दफा (१५) संग सम्बन्धित

दुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरूको विक्री तथा निकासी
प्राकृतिक साधन उपाभोग कर

| सि.नं | विवरण | वार्षिक करको दर (रु) ०७८०७९ | वार्षिक करको दर (रु) ०७९०८० | वार्षिक करको दर (रु) ०८०१०८१ |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| १ | सडक मर्मत संभार शुल्क | | | |
| | दुङ्गा ट्रक/ट्रिपर | (| (| (|
| | आइचर | (| (| (|
| | निशान | (| (| (|
| | ट्रायाक्टर | (| (| (|
| २ | दुङ्गा गिटी बालुवा संकलन तथा विक्री शुल्क (संकलन शुल्क रु. ३ रु विक्री शुल्क रु. ६) | ९ | ९ | ९ |
| ३ | पत्रे दुङ्गा निकासीति स्क्वाएर फुट | | | |

अनुसूची-१५

दफा (१६) संग सम्बन्धित

इन्द्रावती गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभा २०७६०३१० को आर्थिक ऐन निर्णय नं. ३ मा व्यवस्था भएको
जरिवाना

| सि. नं | विवरण | वार्षिक करको दर (₹) ०७६०७८ | वार्षिक करको दर (₹) ०७८०७९ | वार्षिक करको दर (₹) ०७९०८० |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| १ | गाउँपालिका क्षेत्रभित्र तोकिएको स्थान वाहेक अन्यत्र जथाभावी फोहर गरेमा, राखेमा वा फालेमा र जथाभावी पार्किङ गरेमा | २०० देखी ५००० सम्म | २०० देखी ५००० सम्म | २०० देखी ५००० सम्म |
| २ | गाउँपालिका क्षेत्रबाट अवैध रूपमा हुँगा, गिटी, बालुवा, स्लेट, लगायतका पदार्थहरू उत्खनन् गरेमा (स्कार्भटर) | १००००० | १००००० | १००००० |
| ३ | गाउँपालिका क्षेत्रबाट अवैध रूपमा हुँगा, गिटी, बालुवा, स्लेट, लगायतका पदार्थहरू उत्खनन् गरेमा (व्याकहो लोडर) | ५०००० | ५०००० | ५०००० |
| ४ | गाउँपालिका क्षेत्रबाट अवैध रूपमा हुँगा, गिटी, बालुवा, स्लेट, लगायतका पदार्थहरू चोरी निकासी गरेमा (ट्रिपर) | ५०००० | ५०००० | ५०००० |
| ५ | गाउँपालिका क्षेत्रबाट अवैध रूपमा हुँगा, गिटी, बालुवा, स्लेट, लगायतका पदार्थहरू चोरी निकासी गरेमा (आइचर) | २५००० | २५००० | २५००० |
| ६ | गाउँपालिका क्षेत्रबाट अवैध रूपमा हुँगा, गिटी, बालुवा, स्लेट, लगायतका पदार्थहरू चोरी निकासी गरेमा (अन्य साना साधन) | २५००० | २५००० | २५००० |
| ७ | गाउँपालिका क्षेत्रबाट अवैध रूपमा काठ, दाउरा तथा काठजन्य वस्तु कटान गरी निकासी गरेमा (प्रति गाडी) | ३०००० | ३०,००० | ३०,००० |
| ८ | गाउँपालिकाबाट इजाजत नलिई भवन निर्माण गरेमा (प्रति वर्ग फिट) | ८ | ८ | ८ |

(जरिवाना वापत प्राप्त हुन आएको चोरी निकासीको रकम वाट २० प्रतिशत सम्म प्रहरी र सूचना दातालाई ५ प्रतिशत सम्म पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध गराउने ।)

निष्कर्ष तथा सुभावहरू

निष्कर्ष :

राजस्व संकलनमा मुख्यतया कर राजस्व र गैर राजस्व पर्दछन् । कर संकलन गर्दा स्थानीय तहले सबै प्रकारको कर लिन सक्दैनन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारको अधिनमा र संविधान बमोजिम तर्जुमा गरिएको स्थानीय सरकार संचालन ऐनद्वारा प्रदत्त आर्थिक अधिकारका आधारमा मात्र सालबसाली आर्थिक ऐन बनाई स्थानीय तहले कर लगाउन र उठाउन सक्दछन् । अतः उपर्युक्त करका आधारहरूको उपयोग गर्दै गाउँपालिकालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध एवम् आत्मनिर्भर बनाउन राजश्वका

सबै संभावना र क्षेत्रहरुको खोजी गर्दै प्रगतिशील र समतामूलक ढंगले करका दरहरु निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । यसरी प्रगतीशील करको दर निर्धारण तथा परिचालन गरि स्थानीय तहको आन्तरिक आयमा बढ्दि गर्नु र आत्मनिर्भरता बढ्दि गर्न सके स्थानीय विकास टेवा पुग्ने र समृद्ध इन्द्रावतीको निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

आगामी आ.ब मा आर्थिक ऐन कार्यान्वयनका लागि सुझावहरु :

- कर्मचारीहरुलाई राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
- कर संकलनलाई सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्दै राजस्व सुधार कार्ययोजना (Revenue Enhancement Plan) कार्यान्वयन गर्ने ।
- आम नागरिकलाई कर तिर्ने बानीको विकास गर्न करदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्ने ।
- नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले दिएको आर्थिक अधिकारको अधिनमा रही गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन सक्ने सबै प्रकारका कर तथा गैर करको संभाव्यताको अध्ययन र विश्लेषण गरी क्रमश करको दायरा व्यापक बनाउदै लैजाने ।
- सबै वडा कार्यालयमा सम्पत्ति कर लागू गर्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवस्थित बनाउने ।
- राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय राजस्व परामर्श समितिलाई थप क्रियाशिल बनाउने ।
- गाउँपालिका भित्र संकलित सबै राजस्वलाई एकीकृत गरी मासिक एकीकृत राजस्व संकलनको विवरण तयार गर्ने ।
- गाउँपालिका भित्रका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहतर, वहतर लगायतको बिक्री तथा निकासी प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन सम्भाव्य सबै क्षेत्रहरुलाई करको दायरामा ल्याउने । सोको लागि समयमा नै बोलपत्र आव्हान गर्ने ।
- कर संकलनलाई अभ्य प्रभावकारी बनाउन र बक्यौता रकम असुल गर्न प्रचारप्रसारलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
- उद्योग वाणिज्य संघ, व्यापार संघ जस्ता संघसंस्थाहरुको समन्वयमा करदाताहरुसँग समयसमयमा अन्तरकिया कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

संयोजक श्री शोभाना तामाड (गाउँपालिका उपाध्यक्ष)
 सदस्य श्री राम प्रसाद शर्मा (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)
 सदस्य श्री भिमसेन थापा (वडा अध्यक्ष, ३ नं. वडा कार्यालय)
 सदस्य श्री रामजी माझी वडा अध्यक्ष, ११ नं. वडा कार्यालय
 सदस्य श्री नीता दनुवार (गाउँसभा सदस्य)
 सदस्य श्री नवराज भट्टराई (उद्योग वाणिज्य संघ, प्रतिनिधि)
 सदस्य सचिव श्री सुजता गौतम (राजस्व शाखा प्रमुख)
 स्थानीय राजस्व परामर्श समिति
 इन्द्रावती गाउँपालिका, नवलपुर, सिन्धुपाल्चोक ।
 मिति : २०८०/०३/०३